संख्या : 815/आठ–1–23–815/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
4. **प्रबन्ध निदेशक,**
यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ।
5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
6. **सचिव,**
रेरा,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2023**

विषयः उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से दिनांक 18.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) को अयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेन स्ट्रीम बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव के क्रम में निम्नवत कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) विभागीय बैठकों/कार्यशालाओं में एच.आई.वी./एड्स विषय को समाहित करते हुए समस्त स्टाफ को संवेदीकृत किया जाए।
(2) विभागीय आई.ई.सी. सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स जागरूकता एवं टोल फ्री हैल्प लाईन नं0–1097 को सम्मिलित किया जाए।
(3) एच.आई.वी./एड्स एक्ट–2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, सप्तम तल, मण्डी परिषद भवन, 16, ए.पी.सेन रोड, चारबाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(किसलय सिंह)
अनु सचिव।

815/आठ-1-2023

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन
विभाग उ0प्र0 शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522–2622941, 2627021,
फैक्सः 0522–4331202
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awasbandhu.in

संख्या : 9792 आ.ब.–1–निदेशक /2023 दिनांक : 04 अगस्त, 2023

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अनु सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।

विषयः **दिनांक 18.11.2022 को आयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीम बैठक के कार्यवृत्त के अनुरूप कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी लखनऊ के पत्र सख्यां–MS/JWG/2021-2022/2022-23/2023-24/794 दिनांक 28.07.2023 **(मूल रूप में संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर कियान्वयन को प्रभावी बनाए जाने के दृष्टिकोण से दिनांक 18.11.2022 को आयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेन स्ट्रीम बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करते हुये, उक्त कार्यवृत के अनुरूप विभागीय कार्यवाही से सोसाइटी को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त के कमांक–7 पर आवास एवं शहरी नियोजन से संबन्धित लिये गये निर्णय अथवा सुझाव के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु समस्त अभिकरणों को शासन स्तर से निर्देश निर्गत किये जाने के सबंध में विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
04/08/2023
(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी सप्तम तल, मण्डी परिषद भवन, 16,ए.पी.सेन रोड चारबाग लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)
निदेशक

7.8.23

15- 1/70/31-9/23/31/07/2023

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

सप्तम तल, मण्डी परिषद भवन, 16, एपी0 सेन रोड,
चारबाग, लखनऊ – 226001 । दूरभाष: 0522–2638898
वेबसाइट: https://www.upsacs.up.gov.in

पत्रांक: एड्स सोसा0/ MS/JWG/2021-22/2022-2023/2023-2024/794 दिनांक: 28/07/23

सेवा में,

श्री रवि जैन,
निदेशक, नोडल अधिकारी–आवास बन्धु,
पता–जनपथ मार्केट हजरतगंज लखनऊ

विषयः– दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को आयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक के कार्यवृत्त अनुरूप कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया सोसाइटी के पत्रांक एड्स सोसा0 / एम.एस. / जे.डब्लू. जी. / 2022–23 / 1598 दिनांक 20.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को सोसाइटी सभागार में आयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक के कार्यवृत्त आपके सुलभ सन्दर्भन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ सलग्न कर प्रेषित किए गये थे।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक के कार्यवृत्त अनुरूप आपके स्तर से की गयी विभागीय कार्यवाही से सोसाइटी को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि सोसाइटी स्तर से अग्रिम बैठक की रूप रेखा तैयार की जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

श्री 31/07

01/8/23

भवदीय,

(डॉ0 हीरा लाल)
अपर परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः निजी सचिव, परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(डॉ0 हीरा लाल)
अपर परियोजना निदेशक

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

सप्तम तल, मण्डी परिषद भवन, 16, ए0पी0 सेन रोड,
लखनऊ – 226001
वेबसाइट: https://www.upsacs.up.gov.in

पत्रांकः एड्स सोसा0/SMS/JWG/2022-23/1598 दिनांक 20/12/22

सेवा में,

सम्बन्धित विभागों से नामित नोडल अधिकारी एवं प्रतिनिधि अधिकारी,
श्रम, टेलीकम्यूनिकेशन, युवा कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उच्च शिक्षा/राष्ट्रीय सेवा योजना, यूपीडा, आवास एवं शहरी नियोजन [illegible] गृह, [illegible] इलेक्ट्रानिक्स पावर कार्पोरेशन, समाज कल्याण, परिवहन, [illegible] रिसर्च, खेल एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।

विषयः– दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को आयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक के कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से **स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक का आयोजन दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को** सोसाइटी सभागार कक्ष में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त सुलभ सन्दर्भन हेतु पत्र के साथ सलग्न कर प्रेषित है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, उक्त कार्यवृत्त की प्रति सलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बैठक मे लिए गये निर्णय अनुसार विभागीय कार्यवाही से सोसाइटी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः बैठक के कार्यवृत्त

भवदीय,

20/12/22

(रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपिः निजी सचिव, परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को महोदया/महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक

कार्यवृत्त

स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक

दिनांक : 18 नवम्बर, 2022
स्थान : उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, सभागार लखनऊ

उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ के सभागार में स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेनस्ट्रीमिंग बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक की अध्यक्षता अपर परियोजना निदेशक महोदय, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ द्वारा की गयी तथा निम्न प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

क्र0	नाम	पद नाम	विभाग
1	श्री अजय सिंह	सलाहकार, आई.ई.सी. कार्यक्रम	राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको)
2	श्री राकेश द्विवेदी	अपर श्रम आयुक्त	श्रम विभाग
3	श्री विशनु शंकर	सहायक लेखाधिकारी	टेलीकम्यूनिकेशन, विभाग
4	सुश्री मेघना सोनकर	उप निदेशक	युवा कल्याण, विभाग
5	श्री रंजीत सिंह	संयुक्त निदेशक	दिव्यांगजन सशक्तीकरण, विभाग
6	श्री समर दीप सक्सेना	युवा अधिकारी	उच्च शिक्षा / राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार
7	श्री के0के0 सिंह	विशेष कार्याधिकारी	यूपीडा
8	श्री सुनील श्रीवास्तव	प्रतिनिधि निदेशक, / जूनियर इन्जीनियर उ0स0हा0लि0	आवास एवं शहरी नियोजन
9	श्री जनमेजय शुक्ला	आयुक्त	ग्राम्य विकास
10	सुश्री सौम्या पाण्डेय	डी.एस.पी.	गृह विभाग
11	श्री राहुल पुरवार	वरिष्ठ प्रबन्धक	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स पावर कार्पोरेशन
12	श्री पी0के त्रिपाठी	संयुक्त निदेशक	समाज कल्याण
13	श्री के0पी0 सिंह	सर्विस मैनेजर	
14	सुश्री श्वेता वर्मा	ए.आर.टी.ओ. (नोडल आफीसर–श्री राजीव श्रीवास्तव)	परिवहन
15	सुश्री ईशा सिंह	डाक्यूमेन्टेशन आफीसर	सेन्टर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च
16	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक–टी.आइ / प्रभारी - आई.ई.सी.	
17	श्री नरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक	
18	श्री अनुज दीक्षित	सहायक निदेशक	उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण
19	श्रीमती प्रभज्योत कौर	सहायक निदेशक	सोसाइटी

उद्देश्य:

- एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम हेतु समस्त विभागों का सम्मिलित प्रयास, जिससे कि एच.आई.वी. के प्रसार को कम किया जा सके और सुविधाओं का समुचित उपयोग हो सके।
- एच.आई.वी. संक्रमित/प्रभावित लोगों, बच्चों तथा विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा, भेदभाव मुक्त वातावरण निर्मित किया जाना।

उक्त बैठक में सभी विभागों के साथ उनके विभाग से क्या अपेक्षा है तथा किस प्रकार से एक साथ जुड़कर उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चर्चा प्रारम्भ की गयी। सलाहकार, नाको, भारत सरकार द्वारा संयुक्त निदेशक, टी.आई./प्रभारी आई.ई.सी. द्वारा सभी विभागों के साथ राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की अद्यतन वस्तु स्थिति तथा सोसाइटी द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से अवगत कराया गया।

उपरोक्त बैठक के क्रम में विभागों से आये प्रतिनिधियों द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये गये:-

क्र.	विभाग का नाम	चर्चा बिन्दु	लिए गये निर्णय अथवा सुझाव
1	श्रम विभाग	• विभाग द्वारा एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की जानकारी प्रदान किया जाना। • विभाग द्वारा संचालित इ.एस.आई.सी चिकित्सालय में पी.पी.पी. मॉडल में आई.सी.टी.सी. केन्द्र संचालित कराया जाना। • विभागीय समस्त आई.ई.सी. सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की जानकारी का समावेश किया जाना। • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार-प्रसार। • आई.एल.ओ. की वर्क प्लेस पॉलिसी लागू किया जाना। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना।	• श्रम विभाग द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में की जाने वाली एच.आई.वी. जॉच सम्बन्धी डेटा की रिपोर्टिंग सोसाइटी के सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जॉच में आए एच.आई.वी. पॉजिटिव क्लाइन्ट को ए.आर.टी. केन्द्र से जोड़ा जा सके। इस हेतु आवश्यक समन्वय भी किया जाए। • आई.एल.ओ. द्वारा जारी वर्क प्लेस पॉलिसी सभी इन्डस्ट्रीज में लागू की जाए। • विभाग द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों/कार्यक्रमों में एच.आई.वी. एड्स जन जागरूकता के सत्र सम्मिलित किये जाएं। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध

			करायी जाए।
2	टेलीकम्यूनिकेशन विभाग	• राज्य में बीएसएनएल के समस्त कार्यालयों में एचआईवी/एड्स जागरूकता के प्रचार प्रसार सामग्रियों का प्रदर्शन। • बिल के उपर एचआईवी/एड्स का मैसेज। • विशेष दिवसों पर फ्री एसएमएस प्रसारित करना। • ट्रेनिंग कार्यक्रम में एचआईवी/एड्स विषय का समावेश • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार प्रसार। • एचआईवी पीड़ितों के लिए भेदभाव मुक्त वातावरण निर्मित करना। • विश्व एड्स दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन। • एचआईवी एड्स की रोकथाम के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करना। • कार्यस्थल में एचआईवी/एड्स पॉलिसी लागू करना। • राज्य में संचालित टेलिकाम सर्विस प्रदाताओं के सामंजस्य से एचआईवी/एड्स रोकथाम के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करना। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना।	• बी.एस.एन.एल. तथा प्राईवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडरों के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स विषयक सन्देश तथा 1097 हैल्प लाइन के प्रचार हेतु निःशुल्क मैसेज भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। • सभी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मेलों में कैम्प लगाते हैं। इन कैम्प में भी एच.आई.वी. जागरूकता सामग्री का प्रचार/वितरण किया जाए। • विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर एक बैठक करते हुए एच.आई.वी. जागरूकता हेतु क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में सोसाइटी को अवगत कराया जाए। • विभाग से बेहतर समन्वय हेतु सोसाइटी द्वारा एक अन्तर्विभागीय बैठक करते हुए आगे की कार्ययोजना निर्धारित की जाए। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
3	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	• विभाग द्वारा खेल संघों के माध्यम से खिलाड़ियों को एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की जानकारी । • लोकप्रिय खिलाड़ियों के माध्यम से निःशुल्क एच.आई.वी./एड्स	• खेल विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए स्टेडियम में एच.आई.वी./एड्स विषयक जागरूकता हेतु वाल राइटिंग कराया जाए। • ब्लाक लेवल पर मिनी

		जागरूकता संदेशों का प्रचार। • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान स्टेडियम में एच.आई.वी. / एड्स जागरूकता संदेशों का निःशुल्क प्रचार। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना।	स्टेडियम में वाल पेन्टिंग तथा पोस्टर आदि लगवाकर प्रचार--प्रसार कराया जाए। • यूथ आईकॉन, जो यू0पी0 के है उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाए। • युवा खिलाडी जो कि जिला स्तर का हो उसको ब्रांड एम्बेसडर बना कर उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए। • एच.आई.वी. / एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
4	समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन विभाग	• विभाग द्वारा सहायतीत एन.जी.ओ. के माध्यम से एस.टी.आई. एच.आई.वी. / एड्स रोकथाम की जानकारी प्रदाय किया जाना। • विभागीय आश्रमों (बाल / किशोर / विधवा आश्रमों) में एच.आई.वी. संक्रमित / प्रभावित लोगों के आवश्यकतानुसार रहने के लिए आदेश जारी करना • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार प्रसार। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना। • विभागीय समस्त आई.ई.सी. सामाग्रीयों में एच.आई.वी. / एड्स रोकथाम की जानकारी का समावेश किया जाना। • विश्व एड्स दिवस, रक्तदान दिवस एवं रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जाना। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना।	**दिव्यांगजन विभाग** • विभाग द्वारा दिव्यांगजन स्कूलों में एच.आई.वी. जागरूकता हेतु प्रशिक्षण पी.टी.एम. (Parents teacher Meeting) मीटिंग में किया जाए। **समाज कल्याण** • विभागीय आश्रमों (बाल / किशोर / विधवा आश्रमों) में एच.आई.वी. संक्रमित / प्रभावित लोगों को आवश्यकतानुसार रहने के लिए गाइडलाइन बनायी जाए। • विभागीय समस्त आई.ई.सी. सामाग्रीयों में एच.आई.वी. / एड्स रोकथाम की जानकारी का समावेश किया जाए। • एच.आई.वी. / एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट

			शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
5	उच्च शिक्षा विभाग / राष्ट्रीय सेवा योजना	• सभी कॉलेज में आर.आर.सी. का गठन। • आई.टी.आई के प्रशिक्षणों में एच.आई.वी / एड्स का समावेश। • यूथ फेस्टिवल में एच.आई.वी. / एड्स विषय पर संगोष्ठी। • एन.सी.सी. एन.एस.एस. के शिविरों की जानकारी। • छात्रावासों में एच.आई.वी. / एड्स प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किया जाना। • एम.एड. बी.एड. एवं बी.पी.एड के प्रशिक्षण सत्रों में एच.आई.वी. / एड्स का समावेश।	• राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई में साल में एक या दो बार एच.आई.वी. / एड्स सम्बन्धी सत्र सम्पादित कराया जाए। • नये रेड रिबन क्लब खोले जाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि आर.आर.सी. गठन की कार्यवाही की जा सके। • राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों के विभागीय प्रशिक्षण में एच.आई.वी. / एड्स विषयक सत्र को भी शामिल किया जाए। • एच.आई.वी. / एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
6	राजमार्ग एवं सड़क विकास निगम (यूपीडा) एवं परिवहन विभाग	• टोल नाके पर एचआईवी एड्स प्रचार प्रसार सामग्रियों का वितरण। • टोल नाको पर होर्डिंग आदि का लगवाया जाना। • टोल टिकट पर एचआईवी एड्स रोकथाम के मैसेज। • प्रशिक्षण कार्यक्रम में एच.आई.वी. / एड्स विषय का समावेश • स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से यौन जनित रोगों के उपचार तथा एचआईवी की जनजागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार	**यूपीडा** • विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत यूपीडा के समस्त स्टाफ हेतु एचआईवी / एड्स विषयक जागरूकता सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। • यूपीडा द्वारा संचालित एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर एचआईवी / एड्स विषयक होर्डिंग, बैनर पोस्टर आदि जागरूकता सामग्री की स्थापना हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाए।

		• एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार प्रसार। • एचआईवी पीड़ितों के लिये भेदभाव मुक्त वातावरण निर्मित करना। • विश्व एड्स दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन। • एचआईवी एड्स की रोकथाम के प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करना। • सीएसआर के मद से उच्च जोखिम समुदाय के लोगों के लिये दीर्घ कालीन कार्यक्रम सृजित करना। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना।	**परिवहन** • परिवहन के अन्तर्गत–ड्राइवरों, कन्डेक्टर आदि सभी कार्मिकों हेतु एच.आई.वी./एड्स विषयक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाए। • परिवहन के प्रशिक्षण केन्द्र, जो कि कानपुर में स्थित है, में सम्बन्धित अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए एच.आई.वी./एड्स विषय को भी सम्मिलित कराया जाए। • अर्न्तविभागीय बैठक करते हुए एच.आई.वी./एड्स विषयक प्रचार–प्रसार हेतु कार्य किया जाए। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
7	आवास एवं शहरी नियोजन	• विभाग द्वारा सहायतित एन.जी.ओ. के माध्यम से एच.आई.वी /एड्स रोकथाम की जानकारी प्रदान किया जाना। • आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के माध्यम से एच.आई.वी. संक्रमित /प्रभावित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सृजन। • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत एच.आई.वी. संक्रमित/प्रभावित/मोस्ट ऐट रिस्क पापुलेशन के लोगों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाना। • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार प्रसार। • विभाग द्वारा दुकानों के आवंटन	• विभागीय बैठकों/कार्यशालाओं में एच.आई.वी./एड्स विषय को समाहित करते हुए समस्त स्टाफ का संवेदीकृत किया जाए। • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु नगर निकाय विभाग, सूडा के अधिकारियों के साथ अर्न्तविभागीय बैठक आयोजित की जाए। • विभागीय आई.ई.सी. सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स जागरूकता एवं टोल फ्री हैल्प लाइन नं0 1097 को

		में एच.आई.वी. संक्रमित विधवाओं को प्राथमिकता दिया जाना। • जिलों में विभाग द्वारा अनुबंधित होर्डिंग वेण्डर्स के माध्यम से निःशुल्क एक लाईन का संदेश प्रसारित कराया जाना। • विभागीय समस्त आई.ई.सी सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की जानकारी का समावेश किया जाना। • विभाग द्वारा संचालित आवास योजनाओं में एचआईवी संक्रमित/प्रभावित . मोस्ट एटरिस्ट पापुलेशन के लोगों के लिये आरक्षण। • विभाग द्वारा एचआईवी के प्रति भेदभाव को कम करने में मदद करना।	सम्मिलित किया जाए। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध कराई जाए।
8	ग्राम्य विकास	• विभाग द्वार सहायतीत एन.जी. ओ के माध्यम से एच.आई.वी. /एड्स रोकथाम की जानकारी प्रदान किया जाना। • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न गतिविधियों में एच.आई.वी संक्रमित /मोस्ट एटरिस्क पापुलेशन को सम्मलित करना। • दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अंतर्गत इन्हें स्किल डेवलप करना। • मनरेगा अंतर्गत हल्के रोजगार उपलब्ध कराना। • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार प्रसार। • विभागीय समस्त आई.ई.सी सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की जानकारी का समावेश किया जाना। • प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एचआईवी/एड्स विषय का समावेश करना।	• एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के हित में मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे लोगों को हल्के काम दिये जाने सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश की प्रति के साथ समस्त जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों तथा अपर आयुक्त, मनरेगा को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाए। • आजीविका मिशन के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से एच.आई.वी पॉजिटिव लोगों को जोड़े जाने तथा उनकी आजीविका हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सहयोग दिया जाए तथा आवश्यकतानुसार अर्न्तविभागीय बैठक कर कार्यवाही की जाए। प्रबन्ध निदेशक, एन.आर.एल.एम से

			से सम्पर्क किया जाए। • विभाग द्वारा मनरेगा जाबकार्ड में 1097 सम्बन्धित सन्देश अंकित कराया जाए। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
9	गृह विभाग	• पुलिस बल को एचआईवी संवेदनशील बनाने हेतु एचआईवी/एड्स का प्रशिक्षण प्रदान करना। • पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में एच.आई.वी./एड्स विषय का समावेश किया जाना। • एच.आई.वी./एड्स रोकथाम हेतु संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजना एवं लिंक वर्कर को सहयोग प्रदान किया जाना। • पुलिस रक्षित केन्द्रों, पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में एच.आई.वी./एड्स की जागरूकता संदेशों एवं निःशुल्क पेंटिंग करवाया जाना। • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार-प्रसार • विभागीय समस्त आई.ई.सी. सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की जानकारी का समावेष किया जाना।	• पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में एच.आई.वी. एड्स विषय का समावेश किया जाए। • तहसील दिवस/थाना दिवस के अवसर पर एचआईवी/एड्स विषयक जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाए। • 1090 की वेबसाइट से पोर्टल से सोसाइटी वेबसाइट को लिंक किया जाए। • एचआईवी/एड्स विषयक जागरूता तथा सहयोग हेतु अन्तर्विभागीय बैठको का आयोजन किया जाए। • हैल्प डेस्क पर एच.आई.वी. विषयक पम्पलेट, ब्रोशर आदि को रखा जाए। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।
10	आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स विभाग	• सी.एस.सी. केन्द्रों में एचआईवी/एड्स रोकथाम सामग्रियो का प्रदर्शन।	• प्रशिक्षण कार्यक्रम में एच.आई.वी./एड्स विषय का समावेश किया जाए।

		• सी.एस.सी. केन्द्रों के प्रभारियों तथा विभागीय कर्मचारियों समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में एचआईवी विषय का समावेश । • मोबाईल केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी जांच की सुविधा प्रदान करना। • प्रशिक्षण कार्यक्रम में एच.आई.वी. /एड्स विषय का समावेश। • एचआईवी टोल फ्री नम्बर 1097 का प्रचार प्रसार। • एचआईवी पीड़ितो के लिये भेदभाव मुक्त वातावरण निर्मित करना। • विश्व एड्स दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन। • एचआईवी एड्स की रोकथाम के प्रचार–प्रसार में सहयोग प्रदान करना।	• सी.एस.सी. केन्द्रों में एचआईवी/एड्स रोकथाम हेतु सामग्रियों का प्रदर्शन किया जाए। • समस्त विभागों की वेबसाइट पर हैल्प लाइन नं0 1097 का प्रदर्शन किया जाए। • समस्त विभागों की वेबसाइट से सोसाइटी वेबसाइट को लिंक कराया जाए। इस हेतु समस्त विभागों को आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जाने है। • एच.आई.वी./एड्स एक्ट 2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।

उक्त बैठक का समापन संयुक्त निदेशक–टी.आई./पनारी–आई.ई.सी. द्वारा प्रतिनिधि नाको, भारत सरकार तथा समस्त विभागों से आये हुए नोडल अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किया गया।

(डॉ0 हीरा लाल)
अपर परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ